न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अनिल कुमार वार्ष्णेय, आर. ए. एस.

अपील संख्या:– 20/2010 (225 आर. टी. एक्ट)

उनवान

चन्दन सिंह पुत्र जसबन्त सिंह कौम त्यागी निवासी ग्राम टहरी तहसील सैपऊ।

.........................अपीलांट।

बनाम

1. भवानी सिंह पुत्र हरनारायन } अकवाम त्यागी निवासीगण ग्राम टहरी तहसील सैपऊ।
2. कालिन्दी पुत्री हरनारायन }
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सैपऊ।

............................रेस्पोंडेंट।

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध आदेश न्यायालय सहायक कलक्टर मु0 धौलपुर दिनांक 10.03.2010 उनवानी हरनारायन बनाम चन्दन सिंह मु0न. 41/93

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलाण्ट श्री राजेन्द्र सिंह राणा उपस्थित।
2. वकील रैस्पो0 श्री केशव प्रसाद कमठान अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक :– 15.06.2018

1. यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर मु0 धौलपुर के आदेश दिनांक 10.03.2010 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में रैस्पो0/अप्रार्थीगण के पिता हरनारायन ने एक राजस्व वाद संख्या 56/87 उनवानी हरनारायन बनाम चन्दन पेश किया जो दिनांक 15.11.1988 को एक तरफा तौर पर प्रारम्भिक रूप से अपीलाण्ट/प्रार्थी के विरूद्ध करते हुए दिनांक 12.03.1993 को अंतिम डिक्री कर दिया। उक्त निर्णय एव डिक्री को निरस्त कराने हेतु अपीलाण्ट/प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 09 नियम 13 जा0दी0 एवं धारा 151 जा0दी0 पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर प्रार्थी/अपीलाण्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बाबजूद प्रतीक्षा रैस्पो0 की ओर से कोई उपस्थित नहीं आने पर, बहस अपीलाण्ट एक पक्षीय सुनी गई। तत्पश्चात् दिनांक 15.06.2018 को रैस्पो0 अभिभाषक ने उपस्थित होकर न्यायिक नजीर आर0आर0डी0 1999 पेज 196, 1994 पेज 693, आर0एल0आर0 1998(2) पेज 528 का हवाला देते हुए, अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुए तर्क प्रस्तुत किए कि अपीलाधीन आदेश, विधि विरूद्ध एवं पत्रावली के तथ्यों के विपरीत है, जो कि काबिल खारिजी है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि पूर्व में चले राजस्व वाद उनवानी हरनारायन बनाम चन्दन सिंह में अपीलाण्ट को कोई सम्मन का निर्वहन नहीं हुआ। अपीलाण्ट के सम्मन पर रैस्पो0 के पिता हरनारायण ने फर्जी तामील कराते हुए एक पक्षीय रूप से डिक्री करा लिया। अपीलाण्ट विवादित आराजी में अकेला तन्हा खातेदार है। रैस्पो0 का विवादित आराजी से कोई संबंध सरोकार नहीं है। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में अपने हस्ताक्षरों का मिलान, मूल पत्रावली में लगे सम्मन के हस्ताक्षरों से कराने के लिए प्रार्थना पत्र भी दिया था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उसे भी गलत रूप से अस्वीकार करने में कानूनी भूल की है। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर आर0आर0टी 2011(2) पेज 1337, आर0एल0आर0 2003(3) पेज 184, डी0एन0जे0(1) 2014 पेज 228, आर0आर0डी0 1977 पेज 346, 1987 पेज 525, 1977 पेज 346, 1994 पेज 744 व 746 का हवाला देते हुए, अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अपीलाधीन निर्णय को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। अधीनस्थ अपीलाण्ट/प्रार्थी चन्दन सिंह तारीख पेशी दिनांक 15.12.1987 के लिए जारी नोटिस पर अपने हस्ताक्षर से इन्कार करता है। अधीनस्थ न्यायालय ने इसे पर्याप्त तामील मानते हुए, अपीलाण्ट/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 जा0दी0 खारिज किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र को निस्तारित करने हेतु मात्र अपीलाण्ट/प्रार्थी व रैस्पो0/अप्रार्थी के बयान ही दर्ज किये हैं; इनके अलावा अन्य कोई साक्ष्य, तामील कुनिन्दा के बयान, निष्पक्ष गवाह आदि का परीक्षण नहीं हुआ है।

5. इसके अतिरिक्त हमने मूल वाद पत्रावली का भी अवलोकन किया जिसमें वादी/रैस्पो0 का कथन है कि विवादित भूमि, प्रतिवादी/अपीलाण्ट चन्दन सिंह के पिता जसमत सिंह की संयुक्त खाते की थी। जसमत की मृत्यु उपरांत वादी/रैस्पो0 व अपीलाण्ट/प्रतिवादी के संयुक्त खाते में रही। परन्तु बाद भू प्रबन्ध, बन्दोबस्त विभाग ने विवादित आराजी को केवल प्रतिवादी/अपीलाण्ट के नाम दर्ज कर दिया। हम पाते हैं कि वादी/रैस्पो0 के इस कथन के समर्थन में पत्रावली में कोई अभिलेख संलग्न नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न राजस्व अभिलेख जमाबन्दी संवत 2038—41 में अपीलाण्ट/प्रतिवादी अकेले का नाम दर्ज है। इस दशा में वादी/रैस्पो0 के हक में डिक्री शंकास्पद प्रतीत होती है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायहित में वाद में और अधिक परीक्षक की आवश्यकता स्पष्ट दिखाई देती है। अतः हम प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 13 जा0दी0 को स्वीकार करना न्यायसंगत समझते हैं।

6. अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर मु0 धौलपुर का निर्णय दिनांक 10.03.2010 अपास्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 15.06.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार वार्ष्णेय)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official